नागरिकता [भाग–2]

- Article 5 to 11
- नागरिकता का अर्थः– किसी भी देश में 3 प्रकार की मानव आबादी रहती है।

(A) नागरिक
(B) शरणार्थी
(C) राज्यहीन

व्यक्ति नागरिक में 2 प्रकार हैं।

(1) भारतीय नागरिकः– राज्य के सदस्य, निष्ठा रखते है, अधिकारों, जिम्मेदारियों को स्वीकार करते है।

(2) अन्यदेशीय व्यक्तिः– सभी अधिकार नही होते है, वे दूसरे राज्य के सदस्य होते है।

Note:- शत्रु अन्यदेशीय व्यक्ति, उस देश के सदस्य होते है, जो भारत के साथ युद्ध में है। अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और हिरासत) के तहत अधिकार नहीं है।

- नागरिकता का विशेषाधिकार

(1) अनुच्छेद 15 : भेदभाव के खिलाफ अधिकार

(2) Art 16 : सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता का अधिकार

(3) Art 19 : भाषण और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता

(4) Art 29 और 30: सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार

- Art 5:-हर वह व्यक्ति भारत के नागरिक होगा, जो भारत में अधिवास करता है और 3 शर्तो में से किसी एक को पूरा करें।
  (1) भारत में जन्म
  (2) भारत में पैदा हुए माता–पिता
  (3) यदि वह दिनांक 26/01/1950 की तारीख से पहले सामान्य नागरिक रहा हो।
- Art 6:- पाकिस्तान से पलायन करने वाले व्यक्ति और शर्ते है–
  (i) यदि वह 19/07/1948 से पहले प्रवासित हुआ हो और वह साधारण निवासी हो।
  (ii) यदि वह 19/07/1948 को या उसके बाद प्रवासित हुआ, तो उसे 6 महीने का निवासी होने के बाद पंजीकृत किया जा सकता है।
- अनुच्छेद–7 :– 1/03/1947 के बाद पाक में प्रवासित, लेकिन लौटने पर पंजीकरण किया जा सकता है, लकिन 6 महिने का निवासी होने के बाद।
- Art-8:- जिनके माता–पिता विदेशी है, और वे बाहर रहते है, वे भारत के राजायिक या दूतावास प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक हो सकते है, चाहे वह 26/01/1950 के बाद का हो।
- Art-9:- यदि वह अन्य राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करता है, तो नागरिकता वापस ले ली जाएगी।

- Art-10:- नागरिक–संसदीय कानून
- Art- 11:- संसद का अधिग्रहण और नागरिकता रद्द करना

Note:- संसद ने Art 11 का इस्तेमाल कर नागरिकता अधिनियम, 1955 पास किया।

- नागरिकता अधिनियम, 1955 :– इसे अब तक संशोधन क्रमशः 1955,57,60,85,86,92,03,05,015,2019 हुआ है।

इस अधिनियम में नागरिकता पाँच प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।

(1) जन्म के आधार पर :– (1) 26/01/1950 को या उसके बाद भारत में जन्म, लेकिन भारत में अभिभावकों की राष्ट्रीयता के बावजूद 01/07/1987 से पहले जन्म।

(2) 01/07/1987 के बाद, उसके अभिभावक में से कोई एक भारत के नागरिक हो।

(3) 03/12/2004 के बाद, अभिभावक में दोनों भारतीय होने चाहिए। अगर नहीं है, तो एक भारतीय हो और अन्य अवैध प्रवासी नहीं है।

(4) विदेशी राजनयिकों और शत्रु अन्यदेशीय व्यक्तियों के बच्चे नागरिक नही (X) ।

(2) वंश के आधार पर (i) भारत के बाहरी क्षेत्र में पैदा हुए व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, यदि जन्म के समय माता–पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होता है।

(ii) 03/12/2004 के बाद बाहर पैदा हुए–सरकार की अनुमति पर या 1 वर्ष के बाद पंजीकरण किया जा सकता है।

(3) पंजीकरण के आधार पर

(i) 7 साल का निवास, नाबालिग, बच्चे जिनके माता–पिता भारतीय हैं।
(ii) एक व्यक्ति जिसने भारत के नागरिक से विवाह किया हो।
(iii) भारतीय मूल का निवासी जो किसी भी देश में निवासी है।
(iv) साधारण निवासी–आवेदन करने से तुरंत पहले 12 महीनें की अवधि के दौरान भारत में रहता हो।

(4) प्राकृतिकिकरण के आधार पर

(i) वह देश से संबंध रखता हो, जहाँ भारतीय नागरिक के लिए समान प्रावधान है।
(ii) या तो भारत सरकार की सेवा में हो या निवासी हो।
(iii)12 महीने के अवधि (निवास) से पहले, 11 साल तक भारत में वैध निवास के बाद आवेदन किया जा सकता है।
(iv)संविधान की 8 वीं अनुसूची में

उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो।

Note:- पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिक के पाँच वर्ष के दौरान नागरिक को किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा।

- नागरिकता अधिनियम में नागरिकता खोने के तीन कारण बताए गये है।

(1) स्वैच्छिक त्याग

(2) नागरिकता की बर्खस्तगी

(3) नागरिकता से वंचित

- दोहरी नागरिकताः– भारतीय विदेशी नागरिक कार्डहोल्डर एक नई योजना है, जिसमें पी.आई.ओ. एवं ओ.सी.आई. कार्ड योजना का विलय किया गया है। यह नई कार्ड योजना नागरिक (संशोधन) अधिनियम, 2015 में प्रारम्भ किया गया है। पी.आई.ओ. कार्ड योजना 2002 में एवं ओ.सी.आई कार्ड योजना 2005 में शुरू की गयी थी। अब पी.आई.ओ. कार्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है। यह भारत में निम्नलिखित के लिये योग्य नही होगे।

(i) मतदान के लिये
(ii) राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति चुने जाने के लिये।
(iii) लोकसभा, राज्य सभा, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिये।
(iv) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिये।
(v) सार्वजनिक पद प्राप्त करने के लिये आदि।